



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 321]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 29, 2019/ज्येष्ठ 8, 1941

No. 321]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 29, 2019/ JYAIESTHA 8, 1941

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2019

सा.का.नि. 382(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक व्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक व्यूरो नियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक व्यूरो (संशोधन) नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय मानक व्यूरो नियम, 2018 के नियम 6 के उप-नियम (2) में—

- (क) आरम्भिक पैरा में “अध्यक्ष और दस अन्य सदस्य” के स्थान पर “अध्यक्ष और म्यारह अन्य सदस्य” रखे जाएंगे;
- (ख) खंड (ii) के पश्चात्, “अथवा संयुक्त सचिव” शब्दों को हटाया जाए;
- (ग) खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(iiक) व्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले मंत्रालय अथवा विभाग में भारत सरकार का संयुक्त सचिव”

[फा. सं. 6/1/2016-वी.आई.एस.]

अनिल बहुगुणा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Consumer Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th May, 2019

G.S.R. 382(E).— In exercise of the powers conferred by section 38 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, namely:—

1. (1) These rules may be called the Bureau of Indian Standards (Amendment) Rules, 2019.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, in rule 6, in sub-rule (2),—
 - (a) in opening paragraph, for the words “Chairman and ten other members”, the words “Chairman and eleven other members” shall be substituted;
 - (b) in clause (ii), the words “or Joint Secretary” shall be omitted;
 - (c) after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:—
“(iia) Joint Secretary to the Government of India in the Ministry or Department having administrative control of the Bureau”.

[F. No. 6/1/2016-BIS]

ANIL BAHUGUNA, Jt. Secy.